

प्रेषक,

देवीदास,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मिर्जापुर, गोण्डा, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, देवरिया, सीतापुर, बिजनौर, फैजाबाद,
पीलीभीत, फर्रुखाबाद, मऊ, बस्ती, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, बदायूं, गोरखपुर, श्रावस्ती,
सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, बलरामपुर, संतकबीरनगर, गाजीपुर।

राहत आयुक्त कार्यालय

दिनांक: 23 अगस्त, 2017

विषय:-बाढ़ से प्रभावित जनपदों में खाद्यान्न पैकेट के वितरण की सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या- 950, दिनांक-21.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत प्रदान करने हेतु राहत सामग्री पैकेट का मानक तय करते हुए प्रत्येक प्रभावित परिवार को पैकेट वितरित किए जाने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न प्रारूप पर राहत सामग्री पैकेट वितरण की सूचना प्रतिदिन सायं 05:00 बजे तक राहत आयुक्त कार्यालय की ई-मेल rahat@nic.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रारूप

शासनादेश संख्या-950, दिनांक 21.08.2017 के अनुसार वितरित खाद्यान्न पैकेट का प्रारूप

क0सं0	जनपद का नाम	बाढ़ से प्रभावित कुल परिवार	आज का वितरण	कमिक वितरण
-------	-------------	-----------------------------	-------------	------------

भवदीय,

(देवीदास)

विशेष सचिव।